FORM NO.III
फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत :– जिला कलेक्टर पाली

अपीलांटः–	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
श्री शंकरलाल पुत्र गणेशराम निवासी सदर बाजार, निमाज तहसील जैतारण जिला पाली (राज.)		सहायक लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) जैतारण

किस्म मुकदमा RTI APPEAL-- 50 /2019
R.C.M.S. No. --2019/00
अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2/5/19	अपीलांट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि कार्यालय सहायक लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) जैतारण ने उनके द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाए जाने से अपील न्यायालय में पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोडेन्ट अपना पक्ष रखने हेतु तलब होकर एवं सूचना अपीलाण्ट को दी जाकर पत्रावली दिनांक 29/5/19 को पेश हो। जिला कलेक्टर, पाली	622-23 6/5/19
29/5/19	अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया कि लोक सूचना अधिकारी SDO जैतारण से अपील द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध कराई जावे। इस न्यायालय के जरिए पत्रांक 622 दि 6/5/19 की पालना में लिखा जाने पर प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ जिसके पत्रांक लो.सू.अ./भूमि आ./2019/2533 दि. 23/5/19 के अनुसार पूर्व पत्रांक/NH112/सू.अ./2019/5 पदि 18/4/19 के संबंधित सूचना उपलब्ध कराई गई है तथा इसकी प्राप्ती रसीद इस पक्ष के संलग्न पेश की है इस प्रकार सूचना को उपलब्ध करा दिया गया है। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय से किसी प्रकार की कार्यवाही अवशेष नहीं रहती है। परिणामस्वरूप अपील अपीलांट drop की जाती है लोक सूचना अधिकारी (SDO.) जैतारण का पक्ष शामिल मिसल किया जावे। पक्षावली अनुसार फैसला की जाकर इस न्यायालय से नम्बर से कम हो। जिला कलेक्टर, पाली	781 4/6/19